

केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.

दिनांक: 15.06.2018

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60074

संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/80033

अपीलकर्ता : श्री अजय कुमार सिंगला,
टीम आवाज सोसाइटी,
गीता मार्केट, गीता मंदिर रोड,
पानीपत - 132103.

निर्णय की तारीख: 15.06.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.05.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	22.05.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्री ए. के. गहलोत
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	14.06.2018

1. प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दिनांक 18.05.2018 को अपीलकर्ता का आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 11 से संबंधित सूचना प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग को ऑनलाइन अग्रसारित किया गया, जिसके प्रतिउत्तर में श्री ए. के. गहलोत, संयुक्त सचिव (एम. एंड आर.) द्वारा प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है। प्रथम अपील आवेदन में अपीलकर्ता ने उल्लेख किया है कि प्रदान की गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि पेंडिंग अपील की सूची संलग्न है, परन्तु कोई संलग्नक उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है।

2. अपीलकर्ता के सुलभ संदर्भ हेतु श्री ए. के. गहलोत, संयुक्त सचिव (एम. एंड आर.) द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति संलग्नक सहित इस आदेश के साथ पुनः संलग्न है। श्री ए. के. गहलोत, संयुक्त सचिव (एम. एंड आर.) द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसूत है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

संलग्नक - यथोपरि ✓

राकेश
(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

